# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः—24 / 2024

तारीख दायर—18.11.2024
तारीख—निर्णय—27.02.2026

1. श्री शंकर पिता रतना मेघवाल (चमार) निवासी टेकण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री मावा पिता रतना मेघवाल (चमार) निवासी टेकण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री खेताराम पिता रतना मेघवाल (चमार) निवासी टेकण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री मोहन पिता रतना मेघवाल (चमार) निवासी टेकण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्री देवीलाल पिता रतना मेघवाल (चमार) निवासी टेकण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्री खेमराज पिता रतना मेघवाल (चमार) निवासी टेकण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.....अप्रार्थी

उपस्थित—प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री पुष्करलाल मीणा
अप्रार्थी की ओर से—श्री राजपेरोकार

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

### —: :निर्णय : :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा टेकण, पटवार हल्का टेकण भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 490 व पुराना 485 में वर्णित आराजी संख्या 151 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, प्रार्थी व अन्य खातेदार की संयुक्त भूमि है उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता लाला पिता रता दर्ज है जमाबन्दी के सम्वत् 2045 से 2046 तक की जमाबन्दी में लाला पिता रता दर्ज हो गया । जबकी जमाबन्दी को ऑनलाईन करते समय पुत्र रता की जगह पिता लाला का नाम लिख दिया और पिता लाला की जगह पुत्र रता का नाम दर्ज हो गया जबकी प्रार्थीगण के वास्तविक पिता का नाम रता पिता लाला मेघवाल चमार होना था जमाबन्दी के सम्वत् 2035 से 2040 तक रता पिता लाला चमार है। जमाबन्दी के सम्वत् 2042 से 2045 तक भी रता पिता लाला चमार है। उक्त त्रुटि लिपिकीय भूल से हुई है , जिससे दुरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है, प्रार्थीगणों के मौजा टेकण पटवार हल्का टेकण में सभी दस्तावेजों में जैसे राशन कार्ड,आधार कार्ड , जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम रतना दर्ज है। उक्त भूल एक मानवीय भूल है, जो विरासता का नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी को विना सूचना दिये विना जॉच किये विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटी है जिसकों सही किया जाना नितान्त आवश्यक है। नामान्तरण खोलते समय सही जॉच नही की व न ही दस्तावेजों से नामान्तरण खोला गया जो एक लिपीकीय त्रुटी है जिसको प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी मौजा टेकण, पटवार हल्का टेकण भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम टेकण पटवार हल्का टेकण भू.अ.निरीक्षक कूण तहसील लसाडिया खाता संख्या नया 490 व पुराना 485 में वर्णित आराजी संख्या 151 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, भूमि नामान्तरण संख्या 81 सन् 1972 से श्री हीरा, रता, पिता लाला चमार के नाम से गैर खातेदारी आंवटन होकर दर्ज हुई , जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 में नामान्तरण संख्या 447 दिनांक 26.5.1989 से उक्त खातेदारी के नाम खातेदारी हक से दर्ज हुई। रोटेशन जमाबंदी सम्वत् 2046–49 की खाता संख्या 31 में श्री हीरा,रता पिता लाला चमार के बजाय श्री हीरा,लाला पिता रता चमार दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 की खाता संख्या 490 आराजी नम्बर 151 रकबा 0.0972 हैक्टेयर भूमि सहखातेदार श्री लाला पुत्र रता हिस्सा–1/2 व हिरा पुत्र रता हिस्सा–1/2 मेघवाल के नाम दर्ज है। अतः भू–अभिलेख निरीक्षक कूण, पटवारी हल्का टेकण एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खाता संख्या नया 490 व पुराना 485 में वर्णित आराजीयात खातेदार का नाम श्री हीरा, लाला पिता रता की बजाय हीरा,रता पिता लाला मेघवाल (चमार)किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

:–आदेशः–

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा टेकण, पटवार मण्डल टेकण भू–अभिलेख निरीक्षक कूण, के खाता संख्या नया 490 व पुराना 485 में वर्णित आराजीयात खातेदार का नाम श्री हीरा, लाला पिता रता की बजाय हीरा,रता पिता लाला मेघवाल (चमार)किया जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)